न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : दाताराम आर.ए.एस.

अपील सं. 128/2017 (225 आरटीए) राधा बनाम अनोपाराम वगै.

(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2017/00127)

राधा पत्नी रामेश्वरलाल जाति विश्नोई निवासी ग्राम मदरूप नगर (कानासर) तहसील बाप जिला जोधपुर।

..... अपीलांट

बनाम

1 अनोपाराम पुत्र बिरबलराम जाति विश्नोई, निवासी ग्राम कानासर तहसील बाप, जिला जोधपुर।

2 राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार बाप जिला जोधपुर।

..... रेस्सपोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध आदेश सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप दिनांक 17.11.2016 अंतर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 145/2016

उपस्थित :

1 अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री पूनाराम विश्नोई।

2 रेस्पो. सं. 1 की ओर से अधिवक्तागण श्री ओमप्रकाश गोदारा एवं श्री रोशनलाल विश्नोई।

3 रेस्पो. सं. 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी।

निर्णय

दिनांक : 21.08.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप के राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 145/2016 में पारित आदेश दिनांक 17.11.2016 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है। अपील के साथ धारा–5 मियाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया।

2. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप के समक्ष धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत रेस्पो. सं. 1 की ओर से राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 145/2016 पेश किया कि ग्राम कानासर के मूल खसरा नं.

21/8

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

1097 कुल रकबा 260 बीघा 8 बिस्वा भूमि के खातेदार काला वल्द तेजा, धोकला वल्द काछवा तथा उदा वल्द भारता कौम विश्नोई मूल खातेदार थे। राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में ग्राम कानासर के मूल खसरा नं. 1097 कुल रकबा 260 बीघा 8 बिस्वा का डबल व गलत इन्द्राज चला आ रहा है। खसरा नं. 1097/2 व खसरा नं. 1097/1 का भी डबल इन्द्राज चला आ रहा है। जिसमें खाता संख्या 268 जो पांचाराम वल्द कानाराम के नाम से खसरा नं. 1097/2 रकबा 38 बीघा 7 बिस्वा अंकित है एवं खाता सं. 464 में मूलाराम वल्द कालाराम 3/4, हरचंद वल्द कालाराम 1/4, खसरा नं. 1097/1 रकबा 48 बीघा 8 बिस्वा अंकित है यह इन्द्राज गलत चला आ रहा है। जबकि इन खातेदारों ने खातेदार मूलाराम पुत्र कालाराम ने खसरा नं. 1097/2 रकबा 48 बीघा 8 बिस्वा संपूर्ण भूमि का बेचान दिनांक 01.10.85 को ही राजकुमार पुत्र भागचंद जाति जाट को कर दिया था तथा पांचाराम पुत्र कालाराम ने खसरा नं. 1097/1 रकबा 38 बीघा 8 बिस्वा भूमि का बेचान दिनांक 16.06.1984 को ही खरीददार अभयराम पुत्र भागचंद राम को कर दिया। उक्त बेचाननामे के बाद इनका नाम राजस्व रिकार्ड में हटा देना चाहिए था लेकिन वह न हटाया जाकर बेचान करने के उपरांत भी बेचानकर्ता के नाम चला आ रहा था तथा खरीददार का नाम भी राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज हो गया था। गलत राजस्व रिकार्ड का नाजायज फायदा उठाकर खसरा नं. 1097/3 रकबा 48 बीघा 8 बिस्वा जो डबल प्रविष्ठि जमाबंदी संवत 2064 से 2068 खाता संख्या 533 के अनुसार खातेदार मूलाराम पुत्र कालाराम 3/4 एवं हरचंद पुत्र कालाराम 1/4 ने रेस्पोडेंट को उक्त 48 बीघा 8 बिस्वा भूमि का पुनः बेचान कर दिया इस बेचान नामे के आधार पर नामांतरकरण संख्या 1673 ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत कर दिया जिसमें भू–अभिलेख निरीक्षक ने उक्त खसरे का रकबा अधिक दर्ज होने की टिप्पणी की है। गांव कानासर के मूल खसरा नं. 1097 का कुल रकबा मिसल बंदोबस्त अनुसार 260 बीघा 8 बिस्वा है जबकि जमाबंदी ग्राम कानासर संवत 2068–71 के अनुसार इस खसरे का रकबा 376 बीघा है जो मिसल बंदोबस्त से मेल नहीं खाता है। इस प्रकार इस खसरे का रकबा 16 बीघा अधिक दर्ज है। वर्तमान जमाबंदी खाता सं. 411 खसरा नं. 1097/1 रकबा 30 बीघा, खाता सं. 213 खसरा नं. 1097/2 रकबा 38 बीघा 7 बिस्वा तथा खाता सं. 15 खसरा नं. 1097/3 रकबा 116 बीघा 15 बिस्वा भूमि दोहरी प्रविष्ठि के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गई है। जो रेस्पोडेंट व अन्य के नाम से गलत दर्ज हो गई है। रेस्सपोडेंट अनोपाराम विधिवत कोई खातेदार नहीं हैं क्योंकि अनोपाराम द्वारा गलत राजस्व

21/8
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

रिकार्ड में दर्ज दोहरे इन्द्राज का नाजायज फायदा उठाते हुए विवादित भूमि क्रय की थी जबकि उक्त भूमि पूर्व में ही मूल खातेदार द्वारा अपीलार्थी व अन्य खरीददारों को बेचान कर दी थी। वादी रेस्पोडेंट के वाद में अपीलार्थिनी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी. सी. पेश कर निवेदन किया कि वादी को उक्त वाद पेश करने का कोई अधिकार नहीं हैं। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थिनी के प्रार्थना पत्र पर कोई आज दिन तक कोई कार्यवाही नहीं की है। अपीलार्थिनी द्वारा विवादग्रस्त भूमि का रिकार्ड दुरस्ती हेतु धारा 136 का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया है जो विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना कोई राजस्व रिकार्ड देखे अपीलाधीन आदेश के जरिए अपीलार्थिनी के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी जो बहाल रखने के काबिल नहीं हैं। अतः अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.11.2016 से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3 उक्त अपील बउज्र मियाद दर्ज की जाकर रेस्पों. को जरिए सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4 अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री पूनाराम विश्नोई ने अपील मीमो में वर्णित कथन को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश बिना ज्यूडिसियल मांइड एप्लाई किए पारित किया हुआ है जो निरस्त करने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित करने से पूर्व पत्रावली पर उपलब्ध पक्षकारान की प्लीडिंग व राजस्व रिकार्ड पर कतई गौर नहीं किया है एवं अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। रेस्पोडेंट अनोपाराम विधिवत कोई खातेदार नहीं हैं क्योंकि अनोपाराम ने गलत राजस्व रिकार्ड में दर्ज दोहरी प्रविष्ठि का नाजायज फायदा उठाते हुए विवादित भूमि क्रय की थी जबकि उक्त भूमि पूर्व में ही मूल खातेदार द्वारा अपीलार्थिनी व अन्य खरीददारों को बेचान कर दी थी। वादी रेस्पोडेंट के वाद में अपीलार्थिनी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. पेश कर निवेदन किया कि वादी को उक्त वाद पेश करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं हैं फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थिनी के प्रार्थना पत्र पर आज दिनांक तक कोई सुनवाई नहीं की है। अपीलार्थिनी द्वारा विवादग्रस्त भूमि के रिकार्ड दुरस्ती हेतु अलग से धारा 136 का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया है जो विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायायल द्वारा बिना कोई राजस्व रिकार्ड देखे अपीलाधीन आदेश के जरिए अपीलार्थिनी के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा

4/2/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जारी कर दी जो किसी सूरत में बहाल रखने के काबिल नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.11.2016 द्वारा अपीलार्थिनी व अन्य खरीददारों के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर आगामी पेशी 30 दिवस से अधिक अवधि की दिनांक 06.01.2017 को रख दी जो कानूनन गलत है। अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा में 30 दिवस की अवधि में प्रार्थना पत्र का निस्तारण करना आवश्यक है। अपीलाधीन आदेश आज दिनांक तक प्रभावी है तथा इसकी आगामी तारीख 06.11.2017 है। अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गलत रूप अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की है जिस पर कोई सुनवाई नहीं की जा रही है इस कारण अपीलार्थी के पास अपील पेश करने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं हैं। रेस्पोडेंट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे बाले–बाले अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवा लिया धारा 212 के प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा जानबूझकर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जा रही है जबकि कानूनन आदेश 39 नियम 3 के अनुसार एक पक्षीय जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को 30 दिनों में निस्तारित करना आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी अपीलाधीन आदेश की नकल हेतु अपीलांट्स ने दिनांक 10.10.2017 को प्रार्थना पत्र पेश किया जो नकल तैयार होकर उसी रोज प्राप्त हो सकी व अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई। प्रथम जानकारी दिनांक 10.10.2017 से यह अपील अंदर मियाद पेश की है अतः अपीलाधीन आदेश की दिनांक से अपील पेश करने में हुई देरी को कंडोन करते हुए अपील अंदर मियाद शुमार करने का निवेदन किया। अपनी बहस के समर्थन में अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी. 1985 पेज 351 पेश कर यह भी निवेदन किया कि इस प्रकार के अंतरिम आदेश के विरुद्ध अपील मैंटेनेबल है। अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त करने का निवेदन किया।

5 रेस्पो. सं. 1 की ओर से अधिवक्तागण श्री ओमप्रकाश गोदारा एवं श्री रोशनलाल ने बहस में कथन किया कि प्रस्तुत अपील मैंटेनेबल नहीं हैं। यह अंतरिम आदेश की अपील है तथा अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जबाब पेश नहीं किया है अतः 30 दिन की समयावधि वाला क्लॉज इस अपील में लागू नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट/अप्रार्थी की ओर से वकालतनामा दिनांक 31.03.2017 को पेश हुआ तथा अपील 01.11.2017 को इस न्यायालय में पेश हुई अतः अंतरिम आदेश की जानकारी दिनांक 31.03.2017 को हो गई थी उसके बाद लगभग 8 माह बाद अपील पेश की है जो 6 माह की देरी से पेश हुई है। अतः अपील

मियाद बाहर हाने से खारिज योग्य है। अपीलाधीन आदेश एक पक्षीय जारी हुआ था। अपीलांट के अधिवक्ता ने दिनांक 31.03.2017 को वकालतनामा पेश कर दिया था उसके बाद 11 माह तक प्रार्थना पत्र का जबाब पेश नहीं किया अतः यहां अपील पेश नहीं कर सकते। आर.आर.टी. 2014(1) पेज 409 जगदीश प्रसाद बनाम भोपालराम में यह तय किया गया है कि अप्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र का जवाब पेश होने पर 30 दिन की अवधि में प्रार्थना पत्र का निस्तारण होना आवश्यक है। इस प्रकरण में अपीलांट/अप्रार्थी की ओर से जवाब पेश नहीं हुआ है अतः अपील मैंटेनेबल नहीं हैं। मौके पर हिस्से व भूमि को लेकर कोई विवाद है तो यथास्थिति बनाए रखना आवश्यक है अन्यथा अपूर्णीय क्षति रेस्पोडेंट को होगी। हक व हिस्से का निर्धारण दावे में ही तय होगा अतः अपील मियाद बाहर होने व मैंटेनेबल नहीं होने के कारण खारिज करने का निवेदन किया।

6 रेस्पो. सं. 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी ने बहस में कथन किया कि प्रकरण में राजकीय हित निहित नहीं हैं। अतः तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुसार उचित निर्णय पारित करने का निवेदन किया।

7 उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

8 अपीलांट के अधिवक्ता का कथन है कि अंतरिम आदेश के विरुद्ध यह अपील मैंटेनेबल है क्योंकि 30 दिवस की अवधि में प्रार्थना पत्र का निस्तारण नहीं किया है। रेस्पोडेंट अधिवक्तागण का कथन है कि इस प्रकरण में अपीलांट की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में जबाब पेश नहीं किया है इसलिए 30 दिन वाला क्लॉज इस प्रकरण पर लागू नहीं होता है एवं इस कारण अपील मैंटेनेबल नहीं हैं।

अपीलांट अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आर.आर. डी. 1985 पेज 351 पेश किया है। जिसमें यह विवेचन है कि "Where an ex-party order of ad-interim temporary injuction or appointment of receiver is made in favour of a party in suit on an application made by him under section 212 of the rajasthan tenancy act, 1955 and a show cause notice is given to the party. why an exparte order of an ad-interim injuction or appointment of receiver should not be made absolute till the decision of case. the said order is appelable under section 225 of the act of 1955."

रेस्पोडेंट के अधिवक्तागण ने कथन किया है कि आर.आर.टी. 2014(1) पेज

2/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

409 जगदीश प्रसाद बनाम भोपालराम प्रकरण में राजस्व मण्डल की फुल बेंच में पारित निर्णय के मुताबिक अपील मैंटेनेबल नहीं हैं। माननीय राजस्व मण्डल के उक्त निर्णय के अनुसार "The appellate courts have no juridiction to entertain appeals against such ad-interim exparte orders which are effective only till next date of hearing and have been passed under rule 3 and 3A of order 39 of the code or where there is no order of the trial court on the application of temporary injuction or appointment of receiver."

अपीलाधीन प्रकरण में दिनांक 17.11.2014 को एक पक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश जारी किया गया तथा अप्रार्थीगण को केवल तलबी हेतु नोटिस जारी करने का उल्लेख है। अप्रार्थीगण को यह कारण बताओ नोटिस जारी करने का उल्लेख नहीं हैं कि अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल वाद के निस्तारण तक क्यों नहीं कन्फर्म कर दिया जावे? अतः अपीलांट अधिवक्ता की नजीर इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है। दूसरी ओर रेस्पोडेंट अधिवक्तागण का कथन भी उचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि आर.आर.टी. 2014(1) पेज 409 जगदीश प्रसाद बनाम भोपालराम प्रकरण में माननीय राजस्व मण्डल की फुल बेंच के नवीतम निर्णय के अनुसार ऐसे आदेश जिनमें आदेश 39 नियम 3ए की पूर्ण पालना की गई हो उनके खिलाफ अपील पेश नहीं हो सकती। इस प्रकरण में तो आगामी सुनवाई की तारीख ही 30 दिन के बाद की रखी गयी है। तथा 30 दिन के बाद की तारीख रखने का कोई कारण भी अंकित नहीं हैं। रेस्पोडेंट अधिवक्ता का तर्क है कि इस प्रकरण में जबाब पेश नहीं हुआ है इसलिए अपील मैंटेनेबल नहीं है, लेकिन माननीय राजस्व मण्डल की उक्त नजीर में ऐसा कोई उल्लेख नहीं हैं। अतः प्रस्तुत अपील माननीय राजस्व मण्डल की उक्त नजीर के अनुसार ही मैंटेनेबल होना पाई जाती है।

9 रेस्पोडेंट के अधिवक्तागण ने इस अपील को मियाद बाहर होने के कारण खारिज करने का निवेदन किया है। रेस्पोडेंट के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलाधीन आदेश एक पक्षीय जारी हुआ था। अपीलांट के अधिवक्ता ने दिनांक 31.03.2017 को वकालतनामा पेश कर दिया था उसके बाद 11 माह तक प्रार्थना पत्र का जबाब पेश नहीं किया। अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलांट को दिनांक 31.03.2017 को हो चुकी थी अतः अपील स्पष्ट रूप से मियाद बाहर है। जब अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा दिनांक 31.03.2017 को पेश कर दिया था एवं अधिवक्ता उपस्थित हो चुके थे तो

21/8
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलाधीन आदेश की उन्हें जानकारी हो चुकी थी ऐसी स्थिति में आदेश की नकल दिनांक 10.10.2017 को लेने की बात तर्क संगत नहीं हैं। यदि अपीलांट ने जानकारी के तत्काल बाद नकल के लिए आवेदन नहीं किया तो इसका लाभ उसे अपील में नहीं मिल सकता। अतः अपील की जानकारी के बाद भी देरी से पेश की गई है तथा प्रकरण में अपीलांट की ओर से अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र का जबाब भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया है। इस प्रकार अपीलांट स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष नहीं आया है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा–5 मियाद अधिनियम के तथ्य गलत होने से स्वीकार योग्य नहीं हैं तदनुसार अपीलांट का धारा–5 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है एवं अपील मियाद बाहर पाई जाती है। अपील मियाद बाहर होने के कारण इसके गुणावगुण पर विचार करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। मियाद बाहर होने से अपील खारिज योग्य पाई जाती है।

10 अतः अपील अपीलांट मियाद बाहर होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप का अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.11.2016 यथावत रखा जाता है। न्यायहित में अधीनस्थ न्यायालय को यह भी आदेशित किया जाता है कि प्रकरण में अप्रार्थी का जबाब लेकर प्रार्थना पत्र का मैरिट पर निस्तारण एक माह की अवधि में किया जाना सुनिश्चित करें।

21/8/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

11 निर्णय आज दिनांक 21.08.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21/8/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर